Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 07/2019

1. लादी पत्नि स्व. बजरंग जाति माली निवासी केकडी तहसील केकडी
2. कंचन पुत्री स्व. बजरंग जाति माली निवासी केकडी तहसील केकडी

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी

----अप्रार्थी

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम एवं 209 राज.टेनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शंकरलाल सैनी (आरएएस)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 15.01.19

पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है-

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम एव 209राज.टेनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी संम्वत 2069-72 में खाता संख्या 2127 में दर्ज खसरा नम्बर 6290 रकबा 1.04 है. में. सह खातेदार लाली पत्नि बजरंग , कंचन पुत्री बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार एंव खाता स. 2130 के खसरा नम्बर 6968, 6973, 6974, 6975, 6976 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.05,0.04, 0.04, 0.05, 0.11 कुल रकबा 0.29 है.लाली देवी पत्नि बजरंग , कंचन पुत्री बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज है जर्ये नामा. स. 1437 दिनांक 16.9.06 एंव जमाबन्दी स. 2061-64 अनुसार लाली पत्नि बजरंग कौम माली के स्थान पर लादी पत्नि बजरंग कौम माली दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी के प्रर्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का **केकडी** की रिपोर्ट प्राप्त की गई । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कस्बा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी संम्वत 2069-72 में खाता संख्या 2127 में दर्ज खसरा नम्बर 6290 रकबा 1.04 है. में. सह खातेदार लाली पत्नि बजरंग , कंचन पुत्री बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार एंव खाता स. 2130 के खसरा नम्बर 6968, 6973, 6974, 6975, 6976 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.05,0.04, 0.04, 0.05, 0.11 कुल रकबा 0.29 है.लाली देवी पत्नि बजरंग , कंचन पुत्री बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज है तथा खाता स. 2063 के खसरा नम्बर 6988 ,रकबा 0.05,0.08 में सह खातेदार लादी देवी पत्नि बजरंग , कंचन पुत्री बजरंग हि.1/2 दर्ज होकर नामा. स. 3286 से बद्रीलाल पुत्र छीतर कौम माली के नाम दर्ज हो चूका है। कस्बा केकडी की जमाबन्दी स. 2061-64 के खाता स. 764 के खसरा नम्बर 6290 रकबा 1.04 पर नामान्तरण स. 1437 दिनांक 16.9.06 से मृतक धूला के बजाय लादी देवी पत्नि बजंरग , कचन पुत्री बजंरग कौम माली के नाम दर्ज है। तथा खाता स. 810 के खसरा नम्बर 6968, 6973, 6974, 6975, 6976 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.05, 0.04, 0.04, 0.05, 0.11 कुल रकबा 0.29 है. पर भी नामा. स. 1437 दिनांक 16.6.06 से मृतक धूला के स्थान पर लादी देवी पत्नि बजंरग , कचन पुत्री बजंरग कौम माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वर्तमान जमाबन्दी के खाता स. 2127 के खसरा नम्बर 6290 रकबा 1.04 एवं खाता स. 2130 के खसरा नम्बर 6968, 6973, 6974, 6975, 6976 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.05, 0.04, 0.04, 0.05, 0. 11 कुल रकबा 0.29 है.पर नामा. स. 1437 दिनांक 16.9.06 जमाबन्दी स. 2061-64 अनुसार सह खातेदार लाली देवी पत्नि बजरंग कौम माली के स्थान पर लादी देवी पत्नि बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उभयपक्षो को सुना गया। तहसीलदार केकडी , पटवारी हल्का केकडी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया संलग्न दस्तावेज के अवलोकन बाद उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी के खाता स. 2127 के खसरा नम्बर 6290 रकबा 1.04 एवं खाता स. 2130 के खसरा नम्बर 6968, 6973, 6974, 6975, 6976 कुल किता 5 रकबा क्रमशः [illegible] 0.04, 0.04, 0.05, 0.11 कुल रकबा 0.29 है.पर नामा. स. 1437 दिनांक 16.9.06 जमाबन्दी स. [illegible] अनुसार सह खातेदार लाली देवी पत्नि बजरंग, कंचन पुत्री बजंरग कौम माली के स्थान पर [illegible] पुत्री बजरंग कौम माली सा.देह खातेदार का अंकन दुरूस्त किया जा[illegible] स्वीकार किया जा[illegible]।

तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति [illegible] हेतु [illegible] से लिखा जावें। प[illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया व निर्णय शामिल पत्रावली किया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:16 IST
Reason: SelfAttested